

न्यायालय: विशेष न्यायाधीश (डकैती), गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

(समक्ष: मोहम्मद अज़हर)

विशेष सत्र प्रकरण कमांक-123/15 (डकैती)

प्रस्तुति/संस्थित दिनांक 23.12.14

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा पुलिस थाना-मालनपुर

जिला-भिण्ड (म.प्र.)अभियोगी

बनाम

1. कल्ली सिंह गुर्जर पुत्र रामप्रकाश सिंह गुर्जर आयु 29 वर्ष निवासी ग्राम जुमलेदार का पुरा थाना मालनपुर जिला भिण्ड म0प्र0
2. धर्मू सिंह उर्फ धर्मसिंह गुर्जर पुत्र पानसिंह गुर्जर निवासी आयु 30 वर्ष ग्राम लटकन पुरा थाना मालनपुर हाल निवासी विकास भवन के पास गणपति ऑयल मिल मालनपुर, थाना मलानपुर जिला भिण्ड म0प्र0

.....अभियुक्तगण

राज्य द्वारा श्री बी0एस0 बघेल विशेष लोक अभियोजक।

अभियुक्तगण द्वारा श्री के.पी. राठौर अधिवक्ता।

// निर्णय //

(आज दिनांक 15.03.2018 को घोषित)

1. अभियुक्तगण कल्ली सिंह गुर्जर एवं धर्मू सिंह उर्फ धर्म सिंह के विरुद्ध भा.द.स. की धारा-392 सहपठित 398 सहपठित 34 सहपठित 11 एवं 13 मध्यप्रदेश डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध के यह आरोप हैं कि उन्होंने दिनांक 02.12.2014 को दोपहर 02:00 बजे या उसके लगभग नोवा फैक्ट्री के सामने रोड की दूसरी ओर फैक्ट्री एरिया मालनपुर अंतर्गत थाना मालनपुर, जिला भिण्ड के डकैती प्रभावित क्षेत्र में मध्यप्रदेश डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम प्रभावशील रहते हुए सामान्य आशय के अग्रसरण में सहअभियुक्त के साथ मिलकर फरियादी कल्याण सिंह को चाकू दिखाकर उसका पर्स जिसमें एक-एक हजार रुपए के पच्चीस नोट, एक पासपोर्ट साईज का फोटो तथा बुलेरो गाडी की चाबी एवं एक सोने की चेन कीमती लगभग 60,000/-रुपए की लूट कारित की।

2. प्रकरण में यह निर्विवादित है कि प्रकरण में बताया गया घटनास्थल राजस्व जिला भिण्ड के अंतर्गत होकर म.प्र.शासन गृह (पुलिस विभाग) मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ 12-1/2000/पी(1)दो भिण्ड, दिनांक 20.01.2000 से मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 के तहत डकैती प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है और घटना दिनांक को वह डकैती प्रभावित क्षेत्र था।
3. अभियोजन के अनुसार दिनांक 02.12.2014 को फरियादी कल्याण सिंह नोवा फैक्ट्री के सामने बन रही गोदावरी न्यूट्री फूड्स कंपनी के ठेकेदार से मटेरियल के संबंध में बात करने गया था। दिन में 02:00 बजे के लगभग नोवा फैक्ट्री के सामने रोड के दूसरी तरफ गोदावरी न्यूट्री फूड्स प्रा0लि0 के पास खड़ा था, तभी उसके पास लटकनपुरा का धर्म पुत्र पान सिंह गुर्जर तथा कल्ली पुत्र प्रकाश सिंह गुर्जर निवासी जिमलेदार के पुरा के आए। धर्म गुर्जर चाकू लिए था। एक दम से धर्म गुर्जर ने कल्याण सिंह की कमीज की जेब में से पर्स तथा बुलेरो की चाबी निकाल ली तथा कल्ली गुर्जर ने गले में डली सोने की चेन निकाल ली। कल्याण सिंह डर के मारे कुछ नहीं बोला तथा दोनों अभियुक्तगण अपनी गाड़ी पर बैठ कर चले गए। थोड़ी दूरी पर रवि सिंह गुर्जर एवं नवीन सिंह गुर्जर खड़े थे। दोनों ने घटना देखी तथा फरियादी ने भी पूरी घटना उन्हें बताई। फरियादी ने अपने तारु के लडके मुन्नेश सिंह को मोबाइल पर घटना बताई। उक्त घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-01 के रूप में कल्याण सिंह के द्वारा थाना मालनपुर में दर्ज कराई गई। जिस पर से अपराध क्रमांक 240/14 अंतर्गत धारा-382 भा0दं0सं0 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
4. दौराने अनुसंधान उसी दिनांक 02.12.2014 को घटनास्थल का नक्शा मौका प्र0पी0-02 बनाया गया। उसी दिनांक 02.12.2014 को फरियादी कल्याण सिंह का प्र0डी0-01 का, मुन्नेश सिंह का प्र0पी0-04 का, नवीन सिंह का प्र0पी0-05 का एवं रवि सिंह का प्र0पी0-12 का कथन लिया गया। दिनांक09.12.2014 को अभियुक्त धर्म उर्फ धर्म सिंह गुर्जर को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0-07 बनाया गया। धर्म उर्फ धर्म सिंह गुर्जर का प्र0पी0-08 का धारा-27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का मेमोरेण्डम लिया गया, जिसमें उसने सोने की चेन कल्ली के पास होना तथा पर्स अपने पास होना और पैसों में से आठ हजार रुपए खर्च होना बताया, जिसके आधार पर धर्म उर्फ धर्म सिंह गुर्जर के आधिपत्य से उसी दिनांक को उससे एक पर्स काले रंग का जिसमें हजार-हजार के 17 नोट कुल 17,000/-रुपए एवं फरियादी का पासपोर्ट साईज फोटो जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी0-11 बनाया गया। उसी दिनांक 09.12.2014 को अभियुक्त कल्ली सिंह गुर्जर को गिरफ्तार का गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0-06 बनाया गया। कल्ली का प्र0पी0-09 का धारा-27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का मेमोरेण्डम लिया गया, जिसमें उसने सोने की चैन स्वयं पहने हुए तथा पर्स व पैसे धर्म गुर्जर के पास होना बताया, जिसके आधार पर कल्ली के आधिपत्य से उसी दिनांक को उससे एक सोने की चैन कडीदार जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी0-10 बनाया गया। प्र0पी0-03 के अनुसार अभियुक्तगण से जप्तशुदा मुद्देमाल की पहचान कल्याण सिंह के द्वारा ग्राम पंचायत सिंगवारी में दिनांक 16.12.2014 को की गई। बाद अनुसंधान अभियुक्तगण कल्ली सिंह गुर्जर एवं धर्म गुर्जर के विरुद्ध अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

5. अभियुक्तगण को उनके विरुद्ध लगाए गए उपरोक्त अपराध के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने अपराध करना अस्वीकार किया एवं विचारण की मांग की। धारा-313 दं0प्र0सं0 के तहत अभियुक्तगण का परीक्षण किए जाने पर उनका कहना है कि साक्षी पुलिस के होने व पुलिस के कहने से उनके विरुद्ध बोलते हैं। वे निर्दोष हैं, उन्हें झूठा फंसाया गया है।
6. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह हैं कि:-
 1. क्या दिनांक 2.012.2014 को दोपहर के 02:00 बजे या उसके लगभग नोवा फैक्ट्री के सामने रोड की दूसरी ओर फैक्ट्री एरिया मालनपुर अंतर्गत थाना मालनपुर जिला भिण्ड के डकैती प्रभावित क्षेत्र में मध्यप्रदेश डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम प्रभावशील रहते हुए फरियादी कल्याण सिंह को चाकू दिखाकर उसका पर्स जिसमें एक-एक हजार रूपए के पच्चीस नोट, एक पासपोर्ट साईज का फोटो तथा बुलेरो गाडी की चाबी एवं एक सोने की चेन कीमती लगभग 60,000/-रूपए की लूट कारित की गई ?
 2. क्या अभियुक्तगण के आधिपत्य से पर्स जिसमें एक-एक हजार रूपए के 17 नोट, एक पासपोर्ट साईज का फोटो तथा बुलेरो गाडी की चाबी थी एवं एक सोने की चेन कीमती लगभग 60,000/-रूपए जप्त किये गये ?
 3. क्या उक्त लूट की गई सामग्री और सामान वहीं है जो अभियुक्तगण से जप्त किया गया है ?
 4. क्या उक्त लूट अभियुक्तगण के द्वारा कारित की गई ?
 5. दोषसिद्धि एवं दण्डादेश ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 एवं 04

7. कल्याण सिंह अ0सा0-01 ने यह बताया है कि कथन देने की दिनांक 06.04.2016 से लगभग डेढ़ साल पुरानी बात है, दिन के 02:00 बजे बिल्डिंग मटेरियल की सप्लाई के काम के लिए मालनपुर में नोवा फैक्ट्री के सामने गोदावरी न्यूट्री फूड्स कंपनी के पास गया था, वहां पर अभियुक्तगण बुलेरो गाडी से नीचे उतरे तथा धर्मू ने उसे चाकू लगाकर उसका पर्स और उसकी बुलेरो गाडी की चाबी छीन ली, अभियुक्त कल्ली ने उसकी सोने की जंजीर छीन ली। फिर दोनों अभियुक्तगण वहां से चले गए। घटना की की रिपोर्ट कल्याण सिंह अ0सा0-01 ने थाना मालनपुर में प्र0पी0-01 के रूप में लिखाई जाना बताया है। उसने यह भी बताया है कि पुलिस ने घटना स्थल का नक्शा मौका प्र0पी0-02 उसकी निशांदाही पर बनाया था। यह भी बताया है कि छीने गए पर्स में 25,000/-रूपए थे और वे सभी एक एक हजार रूपए के नोट थे तथा छीने के पर्स में पासपोर्ट आकार के फोटो भी रखे थे। शेर सिंह अ0सा0-06 ने उपनिरीक्षक महेन्द्र सिंह सेंगर के हस्ताक्षर पहचानते हुए प्र0पी0-01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा प्र0पी0-02 के नक्शेमौके पर बी से बी भाग पर उनके हस्ताक्षर होना बताया है तथा यह बताया है कि उनका देहान्त हो चुका है तथा उन्होंने उनके अधीनस्थ रहकर कार्य किया है, इस कारण हस्ताक्षर पहचानते हैं। यह भी बताया है कि फरियादी कल्याण सिंह उर्फ कल्ला एवं साक्षी मुनेन्द्र सिंह नवीन सिंह तथा

रवि सिंह के कथन भी उपनिरीक्षक महेन्द्र देव सिंह सेंगर द्वारा लिखे गए हैं।

8. इस संबंध में अन्य साक्षी मुनेन्द्र सिंह अ0सा0-02, नवीन अ0सा0-03 एवं रवि सिंह अ0सा0-04 ने अभियोजन का कोई समर्थन नहीं किया है उन्हें अभियोजन की ओर से पक्ष विरोधी घोषित किया है। परंतु स्वयं कल्याण सिंह अ0सा0-01 ने उपरोक्तानुसार लूट करना बताया है। कल्याण सिंह अ0सा0-01 ने प्रतिपरीक्षण में पैरा-13 में यह बताया है कि घटना के समय उसके पास नवीन व रवि उससे 10-15 कदम दूर खड़े थे। उसने यह भी स्वीकार किया है कि रवि उसका खास साला है तथा घटना के समय रवि पार्ले फौवट्री में नौकरी करता था और मालनपुर में मरघट के पास स्थित पहाडिया के पास रहता था। नवीन के बारे में यह बताया है कि नवीन उसकी तरफ स्वयं की ठेकेदारी व सूर्या कंपनी में नौकरी भी करता है। कल्याण सिंह अ0सा0-01 ने इस तथ्य को भी छिपाया है कि नवीन सूर्या कंपनी में कितने बजे से कितने बजे तक नौकरी करता है, उसे पता नहीं है। इस प्रकार दोनों ही साक्षियों को उसने जानना बताया है विशेषकर रवि वही रवि सिंह अ0सा0-04 और नवीन अ0सा0-03 अभियोजन साक्ष्य का कोई समर्थन नहीं करते हैं, जिससे कि कल्याण सिंह अ0सा0-01 के द्वारा बताई गई उक्त घटना निश्चित तौर पर संदेह की परिधि में आती है।
9. कल्याण सिंह अ0सा0-01 ने प्रतिपरीक्षण में पैरा-18 में यह बताया है कि उसकी चैन कडीदार थी, उक्त चैन सीधे गले में नहीं डलती और खोलकर पहनी जाती है, घटना के समय वह जो चैन पहने था, वह गले से निकालने पर टूट गई थी, जब उसने शिनाख्ती की कार्यवाही की थी, तब वह चैन टूटी हुई नहीं थी। विवेचना अधिकारी शेरसिंह अ0सा0-06 ने प्रतिपरीक्षण में पैरा-12 में यह बताया है कि उसके द्वारा जो चैन जप्त की गई थी वह किसी भी प्रकार से कही भी टूट कर जुड़ने के चिन्ह वाली नहीं थी। इससे भी अभियोजन घटना में संदेह उत्पन्न होता है। जहां तक कि अभियुक्तगण की शिनाख्ती का प्रश्न है, कल्याण सिंह अ0सा0-01 ने प्रतिपरीक्षण में पैरा-07 में यह बताया है कि वह धर्मू के दो तीन साल पहले से जानता है। कल्ली को घटना के करीब तीन साल पहले से जानता है। स्वतः कहा कि कल्ली बताता था कि वह भी सप्लाई करता है। पैरा-08 में यह बताया है कि जब कल्ली उसे उसकी पहली बार मुलाकात हुई थी, तब कल्ली का निर्माण कार्य फायर बिग्रेड के सामने चल रहा था, यह साक्षी वहां से निकल रहा था। पैरा-10 में उसने यह बताया है कि धर्मू का मकान मालनपुर थाने से सामने की तरफ सड़क पार करके बना है, वहां से निकलते समय देखा है, इसलिए पहचानता है। जिससे कि स्पष्ट है कि दोनों अभियुक्तगण को फरियादी पूर्व से ही जानता है, जिसमें से अभियुक्त कल्ली फरियादी की तरह ही माल की सप्लाई का कार्य करता था। एक माल की सप्लाई करने वाला व्यक्ति जो कि पूर्व से परिचित ही है, वह अपने परिचित से ही लूट की घटना कारित करेगा, ऐसा सामान्य रूप से संभव नहीं है। जिससे कि ऐसा प्रकट होता है कि वास्तव में उभयपक्ष के मध्य अपने व्यवसाय या सप्लाई आदि को लेकर कुछ विवाद रहा है, जिससे कि अभियोजन घटना और अभियोजन साक्ष्य में युक्ति युक्त संदेह उत्पन्न हो जाता है।
10. जहां तक कि चाकू का प्रश्न है, कल्याण सिंह अ0सा0-01 ने पैरा-16 में यह बताया है कि जो चाकू अभियुक्तगण द्वारा उसे घटना के समय दिखाया गया था, वह सादा था या मुर्गा काटने वाला था, नहीं बता सकता, लेकिन बटनदार था। परंतु उसने यह बताया है कि चाकू में बटन किस प्रकार का लगा था, वह नहीं बता सकता। शेर सिंह

अ0सा0-06 ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त धर्मू के मेमोरेण्डम कथन के आधार पर उसकी निशांदाही पर घटना में प्रयोग किए गए चाकू की तलाशी उसके घर विकास भवन के पास मालनपुर में की थी, जहां चाकू नहीं मिला था, जिससे संबंधित तलाशी पंचनामा प्र0पी0-13 है। इस प्रकार दोनों अभियुक्तगण में से किसी के भी आधिपत्य से चाकू जप्त नहीं हुआ है। कल्याण सिंह अ0सा0-01 यह बताने में असमर्थ रहा है कि चाकू किस प्रकार का था, यह भी बताने में असमर्थ रहा है कि चाकू में बटन किस प्रकार का था। इस प्रकार निश्चित तौर पर अभियोजन घटना और कल्याण सिंह अ0सा0-01 की साक्ष्य में युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न हो जाता है।

11. कल्याण सिंह अ0सा0-01 ने मुख्यपरीक्षण में ही पैरा-01 में यह बताया है कि धर्मू ने उसे चाकू लगाकर उसका पर्स और उसकी बुलेरो गाड़ी की चाबी छीन ली। परंतु प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-01 में एवं कल्याण सिंह के पुलिस कथन प्र0डी0-01 में यह तथ्य नहीं है कि धर्मू ने चाकू लगाया था, उसने चाकू अडाते समय देखा था। अपितु केवल यह तथ्य है कि धर्मू के पास चाकू था। शेर सिंह अ0सा0-06 ने प्रतिपरीक्षण में पैरा-12 में यह बताया है कि फरियादी कल्याण सिंह ने एस.आई. महेन्द्र देव सिंह सेंगर को यह नहीं बताया था कि अभियुक्त धर्मू ने उसे चाकू लगाकर पर्स और बुलेरो गाड़ी की चाबी छीन ली थी। इस प्रकार चाकू अडाने के तथ्य अभियोजन के अनुसार ही नहीं है।
12. शेर सिंह अ0सा0-06 ने प्रतिपरीक्षण में पैरा-07 में यह स्वीकार किया है कि पुलिस थाना मालनपुर में पदस्थ होने के दौरान फरियादी कल्याण सिंह से वह परिचित हो गया था, इसलिए दिनांक 09.12.2014 के पहले से ही उसे जानता था। उसने यह बताया है कि प्र0पी0-06 लगायत 12 अर्थात् गिरफ्तारी मेमोरेण्डम एवं जप्ती के साक्षी नवीन एवं रवि से वह पूर्व से परिचित नहीं था, परंतु उसके पहुंचने से पहले हरीराम की कुर्इया पर दोनों ही साक्षी उपस्थित मिले थे। जिससे की स्पष्ट हो जाता है कि इन दोनों साक्षियों को कल्याण सिंह कहने पर साक्षी बनाया गया, इसी कारण दोनों की साक्षियों ने अभियोजन का कोई भी समर्थन नहीं किया है।
13. इन परिस्थितियों में कल्याण सिंह अ0सा0-01 की साक्ष्य अविश्वसनीय हो जाती है। जिसके आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता है कि कल्याण सिंह से उक्त सामान की लूट कारित की गई और उक्त लूट अभियुक्तगण के द्वारा की गई। कल्याण सिंह अ0सा0-01 का कुछ प्रतिपरीक्षण अर्थात् पैरा-20 उसके पूर्व के प्रतिपरीक्षण दिनांक 06.04.2016 के पश्चात् दिनांक 06.03.2018 को हुआ है अर्थात् दो वर्षों के पश्चात् हुआ है, जिसमें वह पूरी तरह से पक्षविरोधी हो गया है और इस तथ्य से इन्कार कर दिया है कि अभियुक्तगण धर्मू एवं कल्ली ने उसके साथ लूट कारित की थी, जबकि पूर्व में कल्याण सिंह अ0सा0-01 ने अभियुक्तगण को दोषसिद्ध कराने के आशय से साक्ष्य दी है। यद्यपि पूर्व में हुए उसके मुख्यपरीक्षण का खण्डन प्रतिपरीक्षण में होता है और उसकी उपरोक्त साक्ष्य अविश्वसनीय होना प्रकट हुई है, तब ऐसी स्थिति में बाद में पैरा-20 में बताए गए तथ्यों के आधार पर कल्याण सिंह अ0सा0-01 की साक्ष्य अविश्वसनीय नहीं मानी जा सकती है। अपितु पूर्व की साक्ष्य के आधार पर ही वह विश्वसनीय नहीं है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 02:-

14. शेर सिंह अ0सा0-06 ने दिनांक 09.12.2014 को अभियुक्त धर्मू गुर्जर तथा कल्ली गुर्जर को गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0-08 बनाया जाना बताया है। यह भी बताया है कि धर्मू उर्फ धर्मसिंह ने यह बताया था कि पर्स उसकी जेब में है, जिसमें से आठ हजार रूपए उसने खर्च कर दिए हैं, शेष पैसे पर्स में ही हैं और चाकू अपने घर पर रखा होना बताया था, जिसका मेमोरेण्डम प्र0पी0-08 होना बताया है। उसने यह भी बताया है कि उसी दिनांक 09.12.2014 को कल्ली गुर्जर ने यह बताया था कि चैन वही है जो वह पहने है तथा पर्स, पैसे एवं चाकू धर्मू के पास होना बताया था, जिसका मेमोरेण्डम प्र0पी0-09 है।
15. शेरसिंह अ0सा0-06 ने यह भी बताया है कि मौके पर ही धर्मू से साक्षियों के समक्ष एक पर्स काले रंग का और एक एक हजार के 17 नोट एवं पासपोर्ट साईज की फोटो फरियादी की जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी0-11 बनाया था तथा कल्ली गुर्जर से एक चैन सोने की कडीदार वजनी एक तौला आठ आना तीन रत्ती जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी0-10 बनाया था। परंतु गिरफ्तारी, मेमोरेण्डम एवं जप्ती के साक्षी नवीन अ0सा0-03 एवं रवि सिंह अ0सा0-04 ने शेरसिंह अ0सा0-06 के द्वारा की गई कार्यवाही का कोई समर्थन नहीं किया है। शेर सिंह अ0सा0-06 ने प्रतिपरीक्षण में पैरा-08 में यह बताया है कि कल्ली एवं धर्मू को गिरफ्तार किए जाने से पूर्व उसे यह ज्ञात था कि कौन कौन से वस्तुएं हरीराम की कुईया पर अभियुक्तगण से जप्त करनी है।
16. शेर सिंह अ0सा0-06 ने पैरा-10 में यह स्वीकार किया है कि जप्तीपत्रक प्र0पी0-11 में उल्लेखित मुद्देमाल को मौके पर सील किए जाने का उल्लेख नहीं किया गया है, वह मौके पर थाने से कोई भी तौल का सामान अभियुक्त को गिरफ्तार करते समय साथ लेकर नहीं गया था, परंतु यह बताया है कि मौके पर ही सुनार को बुलाकर तुलवा लिया था। परंतु प्र0पी0-10 एवं 11 के जप्ती पंचनामे का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि उसमें ऐसी कोई टीप नहीं है कि मौके पर किसी सुनार को बुलवाकर तुलवाया गया हो। प्र0पी0-11 में यह भी टीप नहीं है कि उक्त मुद्देमाल को सील किए जाने का कोई उल्लेख किया गया हो। यह प्राकृतिक रूप से अस्वाभाविक प्रतीत होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी लूट किए हुए सामान को लूट की घटना के तुरंत बाद स्वयं पहन लेगा अर्थात् लूट के लगभग एक सप्ताह के पश्चात् उस माल को अर्थात् सोने की चैन को स्वयं पहने होगा जबकि फरियादी के द्वारा लूट की नामजद रिपोर्ट लिखाई गई है।
17. लूट करने वाला व्यक्ति सामान्य तौर पर लूट की गई सम्पत्ति को छिपा कर रखता है और स्वयं नहीं पहन लेता है, जिससे कि ऐसा प्रकट होता है कि वास्तव में उभयपक्ष के मध्य कुछ लेन देन का विवाद हो सकता है। यही कारण है कि प्रकरण में जो साक्ष्य आई है, उसके आधार पर अभियोजन कहानी भी अप्राकृतिक और अस्वाभाविक होना प्रकट हो रही है और पुलिस के द्वारा की गई कार्यवाही अस्वाभाविक और अप्राकृतिक होना प्रकट है, जिससे कि पुलिस के द्वारा की गई कार्यवाही निश्चित तौर पर संदेह परिधि में आती है, जो कि युक्ति युक्त है।
18. इस मामले में अभियोजन के अनुसार बुलेरो की चाबी भी लूटना बताया गया है। कल्याण सिंह अ0सा0-01 ने अपने मुख्यपरीक्षण में पैरा-01 में अपनी बुलेरो की चाबी भी छीनना बताया है, परंतु शेरसिंह अ0सा0-06 ने ऐसा कहीं भी नहीं बताया है कि किसी भी

अभियुक्तगण ने बुलेरो की चाबी के संबंध में उसे जप्त कराए जाने के संबंध में कोई जानकारी दी हो और उसके आधार पर बुलेरो की चाबी भी जप्त की हो। बुलेरो की चाबी के संबंध में अभियोजन की कार्यवाही और पुलिस की कार्यवाही पूर्ण रूप से मौन है। कल्याण सिंह अ0सा0-07 ने धर्म सिंह के द्वारा बुलेरो की चाबी छीनना बताया है। धर्म सिंह के धारा-27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के मेमोरेण्डम प्र0पी0-08 में बुलेरो की चाबी का कोई भी उल्लेख नहीं है। तलाशी पंचनामा प्र0पी0-13 में भी बुलेरो की चाबी का कोई उल्लेख नहीं है। जिससे कि प्रथम दृष्टि में यह प्रकट होता है कि या तो बुलेरो की चाबी धर्मसिंह ने ली ही नहीं थी या लेने के बाद कल्याण सिंह ने वापिस प्राप्त कर ली अथवा बुलेरो की चाबी अभियुक्तगण की ही थी ऐसी स्थिति में भी अभियोजन कार्यवाही एवं जप्ती की कार्यवाही एवं दोनों साक्षियों की साक्ष्य में संदेह उत्पन्न हो जाता है जो कि युक्तियुक्त है।

19. प्र0पी0-10 के अनुसार सोने की चैन एक तोला आठ आना तीन रत्ती की होना बताई गई है, जबकि सुपुर्दगी नामे में उक्त चैन को 30 ग्राम लगभग ढाई तीन तोले की होना बताया गया है। ऐसी स्थिति में भी वास्तव में अभियोजन मामले में संदेह उत्पन्न हो जाता है, जो कि युक्तियुक्त है। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण के आधिपत्य से उक्त सामग्री जप्त होना प्रकट और प्रमाणित नहीं होता है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 03:-

20. कल्याण सिंह अ0सा0-01 ने मुख्यपरीक्षण में पैरा-03 में यह बताया है कि उससे लूटे गए माल को पुलिस द्वारा जप्त किए जाने के बाद ग्राम पंचायत सिंगवारी के सरपंच पूरन सिंह माहौर के द्वारा पहचान कार्यवाही कराई थी, जिसमें उसने अपने सोने की चैन काले रंग का पर्स, रखे हुए रूपए एवं फोटो पहचाना था, जिसका शिनाख्ती मेमो प्र0पी0-03 होना बताया है। जबकि तत्कालीन सरपंच पूरन सिंह माहौर अ0सा0-05 ने यह बताया है कि वर्ष 2014 में वह जनता के कार्य से थाना मालनपुर आता जाता रहता था, तभी एक बार थाना मालनपुर के दरोगा जी ने एक पंचनामा जैसे कागज पर उसके हस्ताक्षर करा लिए थे, प्र0पी0-03 की शिनाख्ती मेमो पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। इस प्रकार उसने शिनाख्ती कार्यवाही किए जाने से इन्कार किया है। यदि यह मान भी लिया जाए कि उक्त शिनाख्ती कार्यवाही हुई थी, तब भी उपरोक्तानुसार लूट होना और लूट की सम्पत्ति अभियुक्तगण से जप्त होना तथा लूट अभियुक्तगण के द्वारा किया जाना प्रमाणित नहीं हो रहा है। उसमें युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न हो गया है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 05:-

21. उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियोजन साक्ष्य एवं अभियोजन घटना में युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न हो गया है और अभियोजन अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। कल्याण सिंह अ0सा0-01 से लूट किया जाना, लूट अभियुक्तगण के द्वारा किया जाना तथा अभियुक्तगण से लूट की सम्पत्ति जप्त होने में युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न हो गया है।
22. इस प्रकार अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण कल्ली सिंह गुर्जर एवं धर्म उर्फ धर्मसिंह गुर्जर ने दिनांक 02.12.2014 को

दोपहर 02:00 बजे या उसके लगभग नोवा फैक्ट्री के सामने रोड की दूसरी ओर फैक्ट्री एरिया मालनपुर अंतर्गत थाना मालनपुर, जिला भिण्ड के डकैती प्रभावित क्षेत्र में मध्यप्रदेश डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम प्रभावशील रहते हुए सामान्य आशय के अग्रसरण में सहअभियुक्त के साथ मिलकर फरियादी कल्याण सिंह को चाकू दिखाकर उसका पर्स जिसमें एक-एक हजार रूपए के पच्चीस नोट, एक पासपोर्ट साईज का फोटो तथा बुलेरो गाडी की चाबी थी एवं एक सोने की चेन कीमती लगभग 60,000/-रूपए की लूट कारित की।

23. फलस्वरूप अभियुक्तगण कल्ली सिंह गुर्जर एवं धर्म उर्फ धर्मसिंह गुर्जर को भा0दं0सं0 की धारा-392 सहपठित 398 सहपठित 34 एवं 11 एवं 13 म0प्र0 डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
24. अभियुक्तगण के जमानत मुचलके उन्मोचित किए जाते हैं।
25. प्रकरण में जप्तशुदा पर्स, फौटो, 17,000/-रूपए एवं सोने की चेन फरियादी कल्याण सिंह की सुपुर्दगी पर है, जिस पर अभियुक्तगण के द्वारा कोई क्लेम नहीं किया गया। उक्त सामग्री फरियादी कल्याण सिंह पुत्र श्री मछन्दर सिंह निवासी वार्ड क्रमांक 15 मालनपुर के पास ही रहेगी। सुपुर्दगीनामा बाद मियाद अपील रद्द किया जावे।
26. अभियुक्तगण कल्ली सिंह गुर्जर एवं धर्म उर्फ धर्म सिंह गुर्जर को दिनांक 09.12.2014 को गिरफ्तार किया गया था तथा अभियुक्तगण की जमानत स्वीकार होकर उन्हें दि0 28.01.2015 को रिहा किया गया था। उसके पश्चात दोनों अभियुक्तगण जमानत पर रहे हैं।
27. इस प्रकार अभियुक्तगण कल्ली सिंह गुर्जर एवं धर्म उर्फ धर्म सिंह गुर्जर 51-51 दिवस न्यायिक निरोध में रहे हैं। न्यायिक निरोध में गुजारी गई अवधि के संबंध में धारा-428 दं0प्र0सं0 का प्रमाणपत्र संलग्न किए जावे।
28. निर्णय की प्रति धारा-365 द.प्र.सं. के तहत आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला दण्डाधिकारी भिण्ड की ओर भेजी जावे।

निर्णय दिनांकित, हस्ताक्षरित
कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(मोहम्मद अज़हर)
विशेष न्यायाधीश, डकैती
गोहद जिला भिण्ड

(मोहम्मद अज़हर)
विशेष न्यायाधीश, डकैती
गोहद जिला भिण्ड